17

संख्याः [illegible]-2006-226(कल्याण)/2001

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,

देहरादून, उत्तराखण्ड।

महिला सश0 बाल वि0 एवं सै0 कल्याण अनुभाग   देहरादूनःदिनांक 21 नवम्बर,2007

विषयः <u>भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु स्वीकृत पदों के नियत वेतन तथा भोजन की दर को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्याः-259-सै.क.-02-226(कल्याण)/2002 दिनांक 05 अगस्त, 2002 के क्रम में आपके पत्रांक संख्याः- 3011/सै.क.-3/भू.पू. सै./प्रस्ताव/45 दिनांक 15 जून, 2007 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड के अंतर्गत संचालित भू0पू0 सैनिकों के पुत्रों को सेना/अर्द्ध सैनिक बलों/पुलिस दल में भर्ती हेतु भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन के लिये स्वीकृत पदों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का नियत मानदेय निम्न विवरणानुसार पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रमांक	पद नाम	पदों की संख्या	वर्तमान में देय नियत मानदेय (प्रतिमाह रू0)	पुनरीक्षित किये जाने वाला नियत मानदेय (प्रतिमाह रू0)
1.	परियोजना अधिकारी (कमीशन्ड अधिकारी)	01	5000	6500
2.	ग्राउण्ड मास्टर (हवलदार)	01	3000	3600
3.	प्रशिक्षक हवलदार	03	2500	3250
4.	लिपिक	01	2500	3250
5.	चौकीदार/चपरासी	01	2000	2600
6.	कुक	01	2000	2600
7.	सफाईवाला	01	1500	1950
8.	पानीवाला (अंशकालिक)	01	800	1000 अधिकतम

2. अंशकालिक सफाईकर्मी को रुपये 1000/- की सीमान्तर्गत, न्यूनतम दर पर आवश्यकता के आधार पर संविदा पर रखा जाय।

3. उक्त के अतिरिक्त भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में वर्तमान भोजन की दर रु0 40/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन को पुनरीक्षित करते हुए रु0 60/- प्रति प्रशिक्षणार्थी, प्रतिदिन दिये जाने की भी स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

4. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15, लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, आयोजनागत, 200-अन्य कार्यक्रम 03-सैनिक कल्याण, 91-भू0पू0 सैनिकों के पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती हेतु पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (जिला योजना) के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या:-662(P)/XXVII-3/2007, दिनांक 29 नवम्बर, 2007 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)

सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या:- /XVII(2)/2006-226(कल्याण)/2001 तद्दिनांक:-</u>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा।
7. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)

सचिव।

दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को अपरान्ह 04.00 बजे सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में "भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों के वेतनवृद्धि एवं प्रशिक्षणार्थियों को भोजन व्यवस्था हेतु धनराशि वृद्धि" हेतु बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री आर0सी0 शर्मा, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. ब्रिगेडियर ए0एन0 बहुगुणा (अ0प्रा0), निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड, देहरादून।

बैठक के प्रारम्भ में निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, जनपद देहरादून एवं अल्मोड़ा में संचालित है, जिनके लिये वर्तमान में विभिन्न मदों में धनराशि की व्यवस्था किये जाने का प्राविधान है, इससे प्रायः किसी न किसी मद में धनराशि कम पड़ जाती है, जिसके लिये पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था की जाती है। इस संबंध में जनपद देहरादून एवं अल्मोड़ा में संचालित भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र के लिये बजट में एकमुश्त धनराशि का प्राविधान किये जाने का सुझाव दिया। अतः बैठक में प्रश्नगत योजना को जिला योजना के स्थान पर राज्य योजना के अंतर्गत उल्लिखित/सम्मिलित करने पर सहमति हुयी।

2. बैठक में निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में वर्ष 1997 में भोजन व्यवस्था हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी रुपये 20/- निर्धारित था, जो कि वर्ष 2002 में 100 प्रतिशत वृद्धि करके रुपये 40/- किया गया। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय को मानक मानते हुये तथा वर्तमान में बढ़ती हुयी मंहगाई को देखते हुये रुपये 60/- का प्राविधान किये जाने का सुझाव दिया, जिस पर संयुक्त सचिव, वित्त विभाग द्वारा सैद्धान्तिक सहमति दी गयी।

3. बैठक में निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, देहरादून द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र के अधिकारियों/कार्मिकों को देय वेतन/मानदेय वृद्धि पर सहमति किये जाने हेतु पूर्व में वर्ष 2002 में की गयी वृद्धि के आधार पर निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया।

वर्ष 2002 में शासनादेश संख्या:- 259-ऊैक-02-226(कल्याण)2002, दिनांक 05 अगस्त, 2002 के द्वारा की गयी वृद्धि तथा प्रस्तावित वृद्धि का विवरण निम्नवत् हैः-

क्रमांक	पद नाम	पदों की संख्या	पूर्व में देय नियत वेतन (प्रतिमाह रू0)	वर्ष 2002 में पुनरीक्षित किया गया नियत वेतनमान (प्रतिमाह रू0)	प्रस्तावित वृद्धि
1.	पर्यवेक्षक अधिकारी (कल्याण अधिकारी)	01	3500	5000	6500
2.	क्वार्टर मास्टर (हवलदार)	01	1900	3000	3900
3.	प्रशिक्षक हवलदार	03	1800	2500	3250
4.	लिपिक	01	1800	2500	3250
5.	चौकीदार/चपरासी	01	1000	2000	2600
6.	कुक	01	1000	2000	2600
7.	मसालची	01	800	1500	1950
8.	सफाईवाला (अंशकालिक)	01	200	500	1500

उक्त के संबंध में संयुक्त सचिव, वित्त विभाग द्वारा इस आधार पर सहमति दी गयी कि प्रस्तावित वेतन/मानदेय उपनल में देय वेतन/मानदेय की तुलना में कम है।

राधा रतूड़ी
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण, बाल विकास
एवं सैनिक कल्याण अनुभाग
संख्या: [illegible](4)/XVII(2)/2007
देहरादून: दिनांक 02, नवम्बर, 2007

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव